कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 19771/दो–380 (57) ए/लाइसेंस/2010–11/भांग/टेन्डर, दिनांक:इला0:फरवरी 18 2010

टेण्डर नोटिस

(वर्ष 2010–11 भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर)

वर्ष 2010–11 के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र (आई0डी0–2) में मुहरबन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो प्रभारों/प्रभार के जनपदों में स्थित बंधित गोदामों को भांग की आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। प्रत्येक टेण्डर रूपया 10,000/–(दस हजार) की धरोहर धनराशि के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त धरोहर की धनराशि किसी शिड्यूल बैंक के फिक्सड डिपाजिट/नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त के नाम प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में दी जा सकती है।

टेण्डर की स्वीकृति की सूचना मिलने पर टेण्डर दाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तो के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रू0 25,000/–(पच्चीस हजार) की धनराशि नकद या सरकारी प्रतिभूति के रूप में जिसका तात्कालिक मूल्य रू0 25,000/–(पच्चीस हजार) हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

विस्तृत विवरण एवं टेण्डर फार्म किसी कार्य दिवस को कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171, पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

मोहरबन्द टेण्डर दिनांक **16.03.2010** को अपरान्ह **03.00** बजे दिन तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में प्राप्त किये जायेंगे तथा दिनांक **16.03.2010** को अपरान्ह **04.00** बजे (चार बजे) टेण्डर दाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृति अधिकारी/अधिकारियों द्वारा खोले जायेगें।

भांग के कलेक्शन, संचय व परिवहन आदि पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2010–11 के लिए थोक आपूर्ति के लिए टेण्डर आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2010–11 में प्रभारवार, अधिकतम दर निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:–

1.	आगरा, अलीगढ़ एवं झांसी प्रभार के जनपदों के लिए–	रू0 13.00 प्रति किलोग्राम
2.	इलाहाबाद एवं चित्रकूट धाम प्रभार के जनपदों के लिए–	रू0 11.00 प्रति किलोग्राम
3.	शेष प्रभारों के जनपदों के लिए–	रू0 10.00 प्रति किलोग्राम

(सुधीर एम0 बोबडे)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।